



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-1176-औस/2015-11(1)ए०एस०/09(14)

दिनांक: 16 अप्रैल, 2015

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-163-औस/2015-11(1)ए०एस०/09(14) दिनांक 14 जनवरी, 2015 के अनुक्रम में कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औस-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवं आदेश सं०-3593-औस-17/पाकालि/ 2003, दिनांक 21.07.03 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन निम्नलिखित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता दिनांक 01.04.2015 से 30.09.2015 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है:-

1. चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों द्वारा कारपोरेशन द्वारा मांगी गई सूचनाओं में से कोई भी सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई है। कर्मचारियों को असुविधा न हो अतः इन चिकित्सालयों की दिनांक 31.03.2015 के उपरान्त अग्रेतर मान्यता अवधि दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक के लिए बढ़ायी गयी है। यदि 30.09.2015 तक इन चिकित्सालयों द्वारा वांछित सूचनाएं यथा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अद्यतन नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र, कारपोरेशन की दरों पर कार्य करने की सहमति एवं चिकित्सालय में उपचार कराने वाले कर्मिकों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित चिकित्सालयों को मान्यता सूची से विलोपित कर दिया जाएगा।
2. चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों को जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।

क्रम सं०	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रमावी तिथि
लखनऊ 1	चिरंजीव हास्पिटल एवं हार्ट सेन्टर, गोमती नगर, लखनऊ (हृदय एवं मेडिसिन सम्बन्धी रोगों हेतु)। (एकल विशिष्टता)	30.09.2015
2	रिदा हास्पिटल, 301/1, सेक्टर-9, विकास नगर, लखनऊ।	30.09.2015
3	लाल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कृष्णानगर, कानपुर रोड, लखनऊ।	30.09.2015
4	मेट्रो हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, 1/25, विजय खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	30.09.2015
5	लखनऊ कैंसर इन्स्टीट्यूट, जियामऊ, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	30.09.2015
6	लखनऊ हॉस्पिटल, बी-1, सिंधुनगर कृष्णानगर (थाने के पीछे), लखनऊ।	30.09.2015
7	अवध हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेन्टर, अवध हॉस्पिटल चौराहा, सिंगारनगर, लखनऊ।	30.09.2015
8	राजचन्द्रा हास्पिटल, दामोदर नगर, वी०आई०पी० रोड, आलमबाग, लखनऊ।	30.09.2015
कानपुर 9	बृज मेडिकल सेन्टर, 94-ई०, पनकी, कानपुर।	30.09.2015
10	न्यू लखनपुर हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, 6-ए, लखनपुर कानपुर।	30.09.2015
11	कनिका हॉस्पिटल, 111/ए/5, हर्षनगर, कानपुर।	30.09.2015

MEDICAL/2015

Nai

SPO

मेरठ 12	दृष्टि आई फाउन्डेशन, प्रथम तल, तिरुपति प्लाजा, बच्चा पार्क, मेरठ।	30.09.2015
13	जैन मेडिकल सेन्टर एण्ड लेजर आई हॉस्पिटल, 166 सिविल लाइन्स, मेरठ।	30.09.2015
वाराणसी 14	दी फैक्चर्स क्लीनिक एण्ड ट्रामा सेन्टर, बी-38/695, महमूरगंज, वाराणसी।	30.09.2015
आगरा 15	आई0आई0एम0टी0 हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गणेशनगर, लायर्स कालोनी, बाईपास रोड, आगरा।	30.09.2015
बरेली 16	धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल, गांधीनगर, पीलीभीत रोड, बरेली।	30.09.2015

- कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी सूची के समस्त अथवा किसी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में उस सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)

संख्या:-1176-(1) औस/2015-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 4- निदेशक (आपरेशन)/(प्रोजेक्ट)/(कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपो0 लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करायें।
- 8- समस्त उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव/महाप्रबन्धक (औ0सं0)/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वेतन एवम् लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी/ निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्नक चिकित्सालयों की सूची को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
- 12- प्रबन्धकगण -सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
- 13- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 14- कट फाइल।

Naf Malhotra
(नवनीत माथुर) 16.4.15
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी